"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, गुरुवार दिनांक 28 फरवरी 2002 फाल्गुन 9, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-20/2002/वाक/पांच (22) - छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा :-

(1) (क) नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करता है, और
(ख) उक्त अनुसूची के कालम (3) में वर्णित ऐसे मालों को विनिर्दिष्ट करता है.

(2) यह निर्देश देती है कि उस तारीख से जो कि उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गई है, वह प्रवेश कर जो कि किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो, उक्त माल से संबंधित उसकी कराध्येय मात्रा पर, उसके (अनुसूची के) कालम (5) को तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट की गई दर से प्रभारित किया जाएगा.

अनुसूची

अनुक्रमांक	स्थानीय क्षेत्र	माल	तारीख	कर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र.	छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निर्मित सभी प्रकार के फैरो एलायज	इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से.	10%

Raipur, the 28th February 2002

NOTIFICATION

No. F-10-20 /2002/CT/V (22) - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No.52 of 1976), the State Government hereby :-

(1) Specify :

(a) local areas mentioned in column (2) of the Schedule below ; and
(b) the goods mentioned in column (3) of the said Schedule.

(2) Directs that as from the date specified in column (4) of the said Schedule the entry tax payable by a dealer under this Act shall be charged on his taxable quantum relating to the said goods, at the rate specified in the corresponding entry in column (5) thereof :

S. No.	Local areas	Goods	Date	Rate of Tax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	All local areas in the State of Chhattisgarh	All Kinds of Ferro Alloys manufactured outside the State of Chhattisgarh.	From the date of publication of this Notification in the Official Gazette.	10%

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.आर मिश्रा , उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-20/2002/ वा.क. / पांच (23) - छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) जिसे इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है (3)
1.	प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट माल.	जबकि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर अधिनियम के अधीन करदायित्वाधीन किसी व्यवसासी द्वारा विक्रय के लिए किया जाए और ऐसा माल अधिसूचना क्रमांक एफ-10-18/2002/वा.क./पांच (21) दिनांक 15-2-2002 के अधीन छूट प्राप्त व्यापारी को संलग्न प्रारूप घोषणा-पत्र में इस आशय हेतु विक्रय किया जाए कि क्रय किया गया माल उसकी औद्योगिक इकाई में कच्चे माल अथवा अनुषांगिक माल के रूप में उपयोग हेतु आशयित है.

परिशिष्ट

घोषणा

(वा.क. विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अंतर्गत)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक .... (व्यवसायी का नाम) का .... मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं की मैने उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यवसायी .... से नीचे दिये गये विवरण वाले माल क्रय किये हैं और उक्त माल मेरे .... नाम के .... स्थान .... जिले में स्थित उद्योग में कच्चे माल के रूप में मालों का निर्माण या उपभोग हेतु आशयति हैं.

2. मैं यह भी घोषित करता हूं कि :-

(एक) मुझे उक्त मालों पर अवधि .... से .... तक वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए ..../ विक-पांच (दिनांक .... के अंतर्गत छूट की सुविधा की पात्रता है).

(दो) क्रय किया गया माल उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत मेरे पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित है, और

(तीन) उपरोक्त पंजीयन प्रमाण-पत्र उपरोक्त मालों के क्रय दिनांक को प्रभावशाली था.

क्रय किये गये माल का विवरण

* क्रय आदेश/बिल/ इनवाईस/केश मेमो/ चालान कर विवरण क्रमांक दिनांक (1)	क्रय माल का विवरण (3)	मात्रा (4)	मूल्य रु.पै. (5)

योग रुपये ....

कुल मूल्य (अंकों में) .... रुपये (शब्दों में) .... केवल .

दिनांक....................

स्थान ....

क्रेता पंजीयत व्यवसायी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट देवें.

Raipur, *The* 28th February, 2002

NOTIFICATION

No. F-10-20 /2002/CT/V (23) In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No.52 of 1976) (hereinafter referred to as entry Tax Act), the State Government hereby exempts in whole with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, the class of goods specified in column (2) of the schedule below, from payment of entry tax under the said Adhiniyam, subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said schedule:

SCHEDULE

S. No.	Class of Goods	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted.
(1)	(2)	(3)
1.	Goods specified in Schedule II of the Entry Tax Act.	When the goods specified in column (2) are entered into a local area by a dealer liable to pay tax under the Entry Tax Act for sale and such goods are accordingly sold by him to another such dealer who is exempted from payment of Entry Tax under CTD Notification No. F-10-18/2002/C.T./V (21) dated 15/2/2002 against a declaration in the appended form to the effect that the goods being purchased are for consumption or use as raw material or as incidental goods, in his industrial unit

APPENDIX

(Under CTD Notification No............................ dated ....)

I,..(Name of the dealer) of .... (place) holding registration *Certificate* No............. under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995) heredy declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below from .... (Name of the Dealer) holding Registration certificate No. .... unde the said Adhiniyam and the said goods are intended by me for consumption or use as raw material or as incidental goods in the manufacture of goods in my industrial unit under the name .... located at .... in .... District.

2. I, further declare that :-

(i) I am eligible for exemption under CTD Notification No. .... dated .... in respect of the said goods for a period of .... years with validity for the period from .... to ....

(ii) the goods purchased are specified in my registration certificate under the said Adhiniyam, and

(iii) my registration certificate was in force on the date of the aforesaid purchase of goods.

Particulars of goods sold

⁎ Particulars of the Purchaseorder/Bill/ Invoice/Cash Memo/Challan No. date.	Description of goods purchased	Quantity	Value Rs. P.
(1)	(2)	(3)	(4)
		Total	

Total value (in Figures) Rs.. (in words) Rs .... only

Place..........................

Date ....

Signature of the dealer

⁎ Strike out whichever is not applicable.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.आर.मिश्रा , उप सचिव.

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2002

क्रमांक एफ-10-20/2002/ वाक/पांच (24) - छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-18/2002/ वाक/पांच (21) दिनांक 15-2-20002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में कॉलम (3) में अंक "31-3-2005" के स्थान पर अंक "31-3-2004" प्रतिस्थापित किया जाए.

NOTIFICATION

Raipur, the 28th February 2002

No. F-10-20 /2002/CT/V (24) - in exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No.52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendments in this department in this Notification No F-10-18/2002/CT/V(21) dated 15-2-2002 namely.:-

AMENDMENT

In the schedule to the said Notification in column (3) for the figures "31-3-2005" the "31-3-2004" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.आर मिश्रा, उप सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.